झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
CIN:U40108JH2013SGC001704
पंजीकृत कार्यालय- एस.एल.डी.सी. भवन, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची-834002, झा.
दुरभाष-0651-2400804 वेबसाईट : www.jusnl.in

वरीय प्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग
प्रमण्डल कार्यालय : श्रृंगारी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, कनेरी हिल पथ, माँत फोर्ट विद्यालय के निकट हजारीबाग-825301, झा.
ई-मेल : eeetdhzb@gmail.com

पत्रांक 596 दिनांक 10/10/2019

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
चतरा

विषय- चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा- एदला में 132/33 के0वी0 पावरग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (प्रस्ताव सं0- FP/JH/SubStation/39788/2019) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण के स्वीकृति में दी गयी शर्त्तों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- 1) आपके कार्यालय के पत्रांक 2624 दिनांक 02.08.19
2) आपके कार्यालय के पत्रांक 2979 दिनांक 05.09.19
3) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र सं0 - वन भूमि 33/2019-2663, दिनांक - 16.07.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा- एदला में 132/33 के0वी0 पावरग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन में आपके निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन तथा बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस पत्र के माध्यम से समर्पित की जा रही है।

क0 सं0	परियोजना का नाम एवं अपयोजित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	शर्त्त	अनुपालन
क	मौजा एदला में 132 / 33 के0वी0 Power grid Sub Station निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) समर्पित की जा रही है। (Undertaking-I)

10/10/2019
प्रवीण राम
वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड

Scanned by CamScanner

ख		प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या WP(C) NO 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय है।	इस शर्त के अनुसार प्रस्तावित 3.44 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 2153440.00 (इक्कीस लाख तिरपन हजार चार सौ चालीस रु मात्र) कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ (Annexure – 1A) संलग्न है।
ग		यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-II)
घ		प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बडच। खाता में जमा की गई राशि इस प्रकार है। i) NPV Rs. 21,53,440.00 ii) CA Rs. 33,62,167.00 **Total Rs. 55,15,607.00** (पचपन लाख पन्द्रह हजार छः सौ सात) मात्र पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ (Annexure – 1A) संलग्न है।
ङ.		प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के कम मे कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-III)

वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग

Scanned by CamScanner

च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल 110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	शर्त संख्या च, छ एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (दक्षिणी) के पत्रांक सं० - 2979 दिनांक - 05.09.2019 के अनुसार 610 बाँस गैबियन वृक्षारोपण (10 वर्षीय रख-रखाव सहित) हेतु वर्तमान मजदूरी दर पर तैयार प्राक्कलन एवं प्रति वर्ष मानव दिवस 15 प्रतिशत बढ़ौतरी करते हुए कुल 33,62,167.00 रू० (तैंतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूप्या) मात्र कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न (Annexure -1A) है।
छ	प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 Indegenous Species की बाँस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	
ज	ग्रिड से जो तार बाहर खींचें जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-IV)
झ	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत जहां संभव हो सके वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-V)
ञ	भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-VI)
ट	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-VII)
ठ	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-VIII)

वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग

Scanned by CamScanner

ड		परियोजना में कार्यरत मजदूरों / टेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के पास पास वन एवं वन्य प्रणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-IX)
ढ		अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (Undertaking-X)
ण		उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	

अतः महाशय से अनुरोध है, कि अग्रेत्तर कार्रवाई करने के साथ ही साथ कार्य करने एवं वृक्षों की कटाई/छटाई की अनुमति प्रदान की जाय, ताकि प्रयोजना का कार्य समय पर किया जा सके।

अनुलग्नक : बाध्यता प्रमाण–पत्र 08 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

10/10/2019

श्री प्रवीण राम,
वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग।

प्रवीण राम
वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड

Scanned by CamScanner

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH

Division Office : Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH

Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-I

UNDERTAKING REGARDING LEGAL STATUS OF LAND

We undertake that the legal status of diverted land will remain the same.

9/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN: U40108JH2013SGC001704
Regd. Office:SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi – 834002, JH
Phone: 0651-2400804 Website: www.jusnl.in
OFFICE OF THE SENIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAG

Undertaking-II

UNDERTAKING IN RESPECT OF REVISED RATE OF NPV

We hereby undertake that the, If there is any revision / modification in the rate of NPV, then it will be obligatory to deposit the increased / differential amount by **Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited.**

10/10/2019

PRAVIN RAM Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag

Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

प्रथम तल,
ई-मेल : e

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

CIN:U40108JH2013SGC001704

Regd. Office: SLDC Building, Kusal Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH

Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH

Division Office : Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH

Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-III

UNDERTAKING REGARDING TREE CUTTING

This is to certify that In order to construct a grid sub-station in the proposed forest land, at least trees will be cut. Under no circumstances more than 11 trees shall be cut. If the cutting of trees is necessary, will be done only after obtaining prior approval from the Divisional Forest Officer.

10/10/2019

PRAVIN RAM

Senior Manager,

Transmission Division, Hazaribagh

Senior Manager

Transmission Division, Hazaribagh

Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusal Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-IV

UNDERTAKING REGARDING STRINGING/PULLING OF WIRE

The wires, which will be pulled out from the grid substation, the height of the lowest wire, will be kept about 20 feet above the ground.

10/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-V

UNDERTAKING REGARDING PLANATATION AT POSSIBLE PLACES IN DIVERTED LAND

This is certifying that plantation will do at possible places by JUSNL in diverted land after the construction of Grid substation as per direction of Forest Department.

10/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-VI

UNDERTAKING REGARDING ADDITIONAL CONDITION

We undertake that in future, if the State Government / Government of India impose any condition, then we will comply with those conditions.

10/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusal Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-VII

UNDERTAKING REGARDING LABOUR CAMP

We undertake that no labour camp will be established at forest land.

10/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-VIII

UNDERTAKING REGARDING LABOUR CAMP AT NON FOREST LAND

We undertake that if labour camp will be established at non forest land, then fuel will be supplied by the JUSNL and all distribution record will be kept as per instruction of Forest Department.

10/10/2019

Senior Manager,
PRAVIN KUMAR
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribagh
Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eetdhzb@gmail.com

Undertaking-IX

UNDERTAKING REGARDING NO DAMAGE TO FOREST & WILDLIFE

We undertake that no damage will be done to the wildlife and forest land near project site by labour & contractor engaged in construction of Grid substation.

18/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
CIN:U40108JH2013SGC001704
Regd. Office: SLDC Building, Kusal Colony, Doranda, Ranchi-834002, JH
Phone:0651-2400804 Website: www.jusnl.in

OFFICE OF THE SENEIOR MANAGER, TRANSMISSION DIVISION, HAZARIBAGH
Division Office: Sringari Complex, 1st Floor, Canary Hill Road, Near Montfort School, Hazaribag-825301, JH
Mob:+919939150265 Email:eeetdhzb@gmail.com

Undertaking-X

UNDERTAKING REGARDING NO OTHER USE OF DIVERTED LAND

We undertake that the diverted land will be never use by any other purpose besides this project.

10/10/2019

Senior Manager,
Transmission Division, Hazaribagh

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

Annex-1A

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-09-2019

Agency Name.	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
Application No.	7339788303
MoEF/SG File No.	VANBHUMI-33/2019
Location.	JHARKHAND
Address.	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited, TransmissiHazaribag
Amount(in Rs)	5515607/-

Amount in Words Fifty-Five Lakh Fifteen Thousand Six Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name	JHARKHAND CAMPA
IFSC Code	CORP0000371
Pay to Account No.	150727339788303 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11 CGO Complex, Phase I, Lodhi Road New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date 30-09-2019

Agency Name.	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
Application No	7339788303
MoEF/SG File No	VANBHUMI-33/2019
Location	JHARKHAND
Address:	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited, Transmissi Hazaribag
Amount(in Rs)	5515607/-

Amount in Words Fifty-Five Lakh Fifteen Thousand Six Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name	JHARKHAND CAMPA
IFSC Code	CORP0000371
Pay to Account No.	150727339788303 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11 CGO Complex, Phase I Lodhi Road New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

RAJIV RANJAN
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Deputy General Manager
Transmission Circle, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.

Anjani Lata Oraon 30/09/19
Manager (F&A)
Transmission Circle Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd

BANK OF INDIA 4810 HAZARIBAG

Scanned by CamScanner

09/10/2019

Challan grid

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Statu
1	FP/JH/SubStation/35726/2018	SUBSTATION357262018765	7335726765	Construction of 132/33 KV G/S/S under transmission circle, Hazaribag in village Nawadih, Bishnugarh, Hazaribag, Jharkhand	Sub Station	4.048	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	13-6-2019	13-9-2019		
2	FP/JH/SubStation/39788/2019	SUBSTATION397882019303	7339788303	Construction of 132/33 KV Power Grid – substation	Sub Station	3.44	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	16-7-2019	05-9-2019		
3	FP/JH/SubStation/35726/2018	SUBSTATION357262018226	7335726226	Construction of 132/33 KV G/S/S under transmission circle, Hazaribag in village Nawadih, Bishnugarh, Hazaribag, Jharkhand	Sub Station	4.048	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	13-6-2019	26-6-2019		
4	FP/JH/TRANS/30085/2017	TRANS300852017314	6430085314	132 KV DC Girdih Saria Transmission Line NIT 42	Transmission Line	32.925	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	03-5-2019	21-6-2019		
5	FP/JH/TRANS/30085/2017	TRANS300852017335	6430085335	132 KV DC Girdih Saria Transmission Line NIT 42	Transmission Line	32.925	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	03-5-2019	05-6-2019		
6	FP/JH/Others/20982/2016	OTHERS209822016031	199209822016031	132/33KV Grid Sub-station at Saria in Giridih District	Others	4.05	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	01-6-2017	25-9-2017		

10/10/19

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sanchāran Nigam

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)
(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Scanned by CamScanner

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा 825401 (झारखण्ड)

[illegible] Fax (o) 06541-222303 E-mail : dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2624 दिनांक 02.08.19

सेवा में,

श्री प्रवीण राम,
वरिष्ठ प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, JSUNL,
हजारीबाग।

विषय:- मौजा एदला में 132/33 KV Power Grid Sub-Station निर्माण हेतु 3.44 है0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या वनभूमि–33/2019–2663 झा0स0, राँची दिनांक 16.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No.– 5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019 द्वारा निर्गत Handbook of Guidelines प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी गई है। शर्त्तवार अनुपालन समर्पित करने हेतु निम्नवत रूप से मांग प्रेषित की जा रही है।

क्र0 स0	परियोजना का नाम एवं अपयोजित वनभूमि का रकबा (है0 में)	शर्त्तें	वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा मांग प्रेषित
(क)	मौजा एदला में 132/33 KV Power Grid Sub-Station निर्माण हेतु 3.44 है0 वनभूमि अपयोजन	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ख)		प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या WP (C) No. 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 है0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त्त के अनुसार प्रस्तावित 3.44 है0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति है0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति है0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 21,53,440.00 (इक्कीस लाख तिरपन हजार चार सौ चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
(ग)		यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(घ)		प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	इस शर्त्त के अनुसार एन0पी0भी0 की राशि कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
		प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।

10/10/2019
PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

		जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	
(च)		प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम मे पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात कुल 110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(छ)		प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 Indegenous Species की बाँस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख–रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	उक्त शर्त्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के समीप 500 Indegenous Species की बाँस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख–रखाव पाँच वर्षो तक आपके द्वारा किया जाना है जिसका अनुश्रवण वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।
(ज)		ग्रिड से जो तार बाहर खींचे जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से ऊँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(झ)		ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सकें, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	इस शर्त्त के अनुसार ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत जहाँ संभव हो वृक्ष लगाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर वन विभाग के देख–रेख में किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में Undertaking देना अनिवार्य है।
(ञ)		भविष्य मे यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है तो उन शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ट)		वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ठ)		यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच क जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ड)		परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के पास–पास वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ढ)		अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य है।
(ण)		उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल	

10/10/2019
PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

	पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	

अतः अनुरोध है कि शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
[illegible] वन प्रमंडल।

1/8/19

10/10/2019
PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541-222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2979 दिनांक 05/09/19

सेवा में

e-mail 05/09/19

श्री प्रवीण राम,
वरिष्ठ प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, JSUNL,
हजारीबाग।

विषयः– मौजा एदला में 132/33 KV Power Grid Sub-Station निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि आपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 2624 दिनांक 02.08.2019 एवं पत्रांक 2192 दिनांक 26.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का पत्र संख्या वनभूमि–33/2019–2663 व0प0 राँची दिनांक 16.07.2019 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 15 शर्त्तों के साथ प्रदान की गई है। बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की मांग प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई थी जो अबतक अप्राप्त है। उक्त परियोजना के विरूद्ध कैम्पा खाता में राशि जमा करने हेतु उच्चाधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार संशोधित मांग प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत् है :–

शर्त्त संख्या	शर्त्त	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा मांग प्रेषित।
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या WP (C) No. 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त्त के अनुसार प्रस्तावित 3.44 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 21,53,440.00 (इक्कीस लाख तिरपन हजार चार सौ चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन-प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
(च)	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात् कुल 110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	इस दोनों शर्त्तों के अनुसार 610 बाँस गैबियन वृक्षारोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) हेतु वर्त्तमान मजदूरी दर पर तैयार प्राक्कलन एवं प्रति वर्ष मानव दिवस 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुये कुल 33,62,167.00 रू0 (तैंतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूपया मात्र।) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
(छ)	प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 Indegenous Species की बाँस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख–रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	

अतः कुल राशि 55,15,607.00 (पचपन लाख पन्द्राह हजार छः सौ सात रूपया मात्र।) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही प्रथम चरण की स्वीकृति का शर्त्तवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सकें।

विश्वासभाजन

5/9

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

10/10/2019
PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

5/9/19

Scanned by CamScanner

पत्र संख्या–वनभूमि–33/2019– 2663 व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 16.07.2019

विषय :– चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा–एदला में 132/33 के0भी0 पावरग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–752 दिनांक–01.07.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–1302 दिनांक–08.07.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा–एदला में 132/33 के0भी0 पावरग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No-5-2/2017-FC दिनांक–28.03.2019 द्वारा निर्गत Handbook of Guidelines की कंडिका–4.4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(ङ) प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।

(च) प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात् कुल–110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(छ) प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 indegenous species की बांस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।

(ज) ग्रिड से जो तार बाहर खीचे जाये, उनमे से सबसे निचले तार की जमीन से उचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(झ) ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10/10/19
PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribagh
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Scanned by CamScanner

(ढ़) अपयोजित होने वाली वन भूमि का [illegible] जायेगा।

(ण) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा--निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की ज़ायेगी।

विश्वासभाजन

16/7/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–33/2019– 2663 व0प0, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को मूल प्रस्ताव की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–33/2019– 2663 व0प0, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/वरीय प्रबंधक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, 1st Floor, श्रींगारी कॉम्पलेक्स, कनेरी हिल रोड, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

PRAVIN RAM
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

Scanned by CamScanner